

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रेमशंकर

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री बालकृष्ण

पत्रावली संख्या : 11/22

जीसीएमएस : 2022/35

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	समाप्त या नहीं
	<p>दिनांक : 22.04.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा एवं प्रतिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 348 पर दर्ज आराजी नम्बर 3985, 3986, 3987, 3988, 4018 किता 5 कुल रकबा 7.4786 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 खातेदार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

